

123

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2012/निगरानी

R-2406- I/12

परसराम पुत्र श्री प्रताप सिंह, जाति-  
खंगार, निवासी-ग्राम कुदारी  
तहसील सेवड़ा ~~इन्दरगढ़~~ (म०प्र०)

--- आवेदक

बनाम

1. प्रीतम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह,  
जाति- खंगार, निवासी-ग्राम कुदारी  
तहसील सेवड़ा इन्दरगढ़ (म०प्र०)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर  
जिला दतिया (म०प्र०)

--- अनावेदकगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व  
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.07.2012 पारित  
न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-501/  
2010-2011/ अपील

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

- 1- यहकि, ग्राम कुदारी में कोटवार कर रिटायर्डमेन्ट होने से  
कोटवार का पद रिक्त हो गया था।
- 2- यहकि, अनावेदक क्रमांक-1 ग्राम इन्दरगढ़ का निवासी  
है। जो कि कुदारी से काफी लम्बी दूरी पर स्थित है,  
तथा ग्राम कुदारी का निवासी हूँ।

शाखा प्रभारी (रा.सं.)  
न्यायालय ग्वालियर

Kyc

R. 2406 5/12 (1/1/12)




2-11-16

दिनांक: 1-11-16 का उपवास  
लाने के आगे लिखा गया। आवेक  
अभि की सुविधा के लिए धारक उक्त। अनार  
उ 2 शासन की को से पैसा काटिका।  
की को से सुखका उपस्थित। आवेक

प्रकरण-4  
पाए 2/11/16  
D. M. K. U.  
क ल ए  
D. K.  
2/11

R. M.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>                     अधिकाधिक एक विप्रेत विभागात्                      प्रमाण को लगे पमाना नही                      पारने ही आवेक करि का                      विप्रेत हीका काल ही प्रमाण                      नो प्रमाण ही ही ही ५१                      लभात हीम माल ही प्रमाण                      काहि गिनाई ही                 </p> <p style="text-align: right;">                       [Signature]                 </p>	

५५